

अभयसिंह चौहान बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार शेरगढ)

सू.अ.अ. अपील संख्या 137 / 2020

24.09.20

अपीलार्थी अभयसिंह चौहान, पता पहाड़गंज कॉलानी-2, मंडोर रोड़ ि जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.07...20 में उसके द्वारा (1) ग्राम हिन्कुडी ग्राम पंचायत भोमसागर हलका पटवारी चाबा तहसील शेरगढ जोधपुर की शरीफ फसल जुलाई 2019 में बुवाई की गई थी राज्य सरकार के आदेशानुसार माह अक्टूबर -नवम्बर 2019 में खराब फसलों का आंकलन कर प्रत्येक ग्राम/ग्राम.पं./पटवार हलके के अनुसार उक्त जांच को बिना प्रतिशत अकाल घोषित किया गया था व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार शेरगढ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

